न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–1523/2013

CNR No. UPBB180002612013

रमेश सिंह आदि बनाम महमूद आदि

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क–29 मय शपथ पत्र ग–30 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 महमूद का देहान्त दिनांक 12.02.2019 को हो गया है। मृतक के चार पुत्र मो० करीम, मो० जमील, हकीमुद्दीन व दीन मोहम्मद मृतक मजकूर के एकमात्र करीब तरीन जायज वारिस व कायम मुकाम हैं और मृतक मजकूर की जायदाद पर काबिज व दखील हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृतक मजकूर का जायज वारिस व कायम मुकाम नहीं है। वाजेह हो कि मृतक मजकूर की पत्नी व उसके माता–पिता का देहान्त उसके जीवनकाल में ही हो गया था। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र में संशोधन चाहा गया है।

मृतक प्रतिवादी संख्या 1 महमूद के प्रस्तावित वारिसान की ओर से आपत्ति ग–33 मय शपथ पत्र ग–34 प्रस्तुत कर कहा गया है कि वादीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है, जो खारिज योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 महमूद की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई अन्य साक्ष्य न्यायालय पर दाखिल नहीं किया गया है, जिससे मृत्यु साबित हो सके। प्रतिवादी संख्या 1 महमूद के वारिसानों के संबंध में साक्ष्य न्यायालय पर दाखिल नहीं किया गया है, जिससे वारिसान साबित हो सकें। वादीगण द्वारा भेजी गयी नोटिस गलत है तथा विधि अनुसार नहीं है। कायम मुकामी प्रार्थना पत्र जानबूझकर एवं वाद को लम्बित रखने के उद्देश्य से विलम्ब से दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकाम मय हर्जा–खर्चा निरस्त किया जाए।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 23.09.2014 के आदेशानुसार उक्त वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी थी व दिनांक 02.11.2017 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांकित 23.09.2014 अपास्त समझे जाने का आदेश हुआ था।

प्रतिवादी संख्या 1 महमूद का देहान्त दिनांक 12.02.2019 को होना कहा गया है। प्रार्थना पत्र क–29 शपथ पत्र ग–30 से समर्थित है। आपत्ति ग–33 में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि वादीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध और त्रुटिपूर्ण है तथा यह कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के संबंध में व वारिसानों के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पर दाखिल नहीं किया गया है, परन्तु यह कथन general प्रतीत होते हैं, जिनके समर्थन में आपत्तिकर्तागण द्वारा कोई अभिलेख अथवा ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही आपत्तिकर्तागण का यह भी कहना है कि वादीगण द्वारा भेजी गयी नोटिस गलत व विधि अनुसार नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां तात्विक अथवा प्रक्रियात्मक न्याय में किसी एक को चुनना हो तो तात्विक न्याय को वरीयता देना न्यायोचित होता है।

आपत्तिकर्तागण द्वारा यह कथन किया गया है कि मृतक महमूद के कायम मुकाम मुकदमा लड़ना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Banwari Lal v. Balbir Singh*** (2016) 1 SCC 607 में ***Sardar Amarjit Singh Kalra v. Pramod Gupta*** (2003) 3 **SCC** 272, की विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नवत् है:-

"*Laws of procedure are meant to regulate effectively, assist and aid the object of doing substantial and real justice and not to foreclose even an adjudication on merits of substantial rights of citizen under personal, property and other laws. Procedure has always been viewed as the handmaid of justice and not meant to hamper the cause of justice or sanctify miscarriage of justice. <u>A careful reading of the provisions contained in Order 22 CPC as well as the subsequent amendments thereto would lend credit and support to the view that they were devised to ensure their continuation and culmination in an effective adjudication and not to retard the further progress of the proceedings and thereby non-suit the others similarly placed as long as their distinct and independent rights to property or any claim remain intact and not lost forever due to the death of one or the other in the proceedings</u>. The provisions contained in Order 22 are not to be construed as a rigid matter of principle but must ever be viewed as a flexible tool of convenience in the administration of justice.*"

उपरोक्त वर्णित आधारों पर प्रार्थना पत्र क-29 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क-29 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अविलम्ब करे।

पत्रावली वास्ते A.W.S. दिनांक 18.10.2021 को पेश हो।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज(जू0 डि0),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0 14,
बाराबंकी